लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2550

जिसका उत्तर बुधवार, 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

कालाबाजारी

2550. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कालाबाजारी रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कालाबाजारी के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 और कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम (पीबीएमएमएसईसी अधिनियम), 1980 सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने तथा उचित मूल्य पर उनका समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को विनियमित करने के लिए विधायी और प्रशासनिक आधार प्रदान करते हैं।

कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम (पीबीएमएमएसईसी अधिनियम), 1980, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का पूरक है। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अवैध और अनैतिक व्यापार प्रथाओं, मुनाफाखोरी, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी आदि को रोकने के लिए कार्यान्वित किया जाता है, जिसके तहत ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को छह महीने के लिए निवारक हिरासत में रखने का आदेश दिया जाता है।

इसके अलावा, गुटबाजी, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए 2016 में सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें आसूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, आयकर और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि शामिल थे। अब तक इस समूह की 21 बैठकें हो चुकी हैं।

(ग) और (घ): जी, हां। पिछले तीन वर्षों में गुजरात सरकार द्वारा कालाबाजारी के मामले दर्ज किए गए हैं और तदनुसार उन पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। कालाबाजारी की घटनाओं को रोकने के लिए गुजरात सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

अनुलग्नक

दिनांक 11.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	**ब्यौरा**	**अप्रैल 2021 से मार्च 2022**	**अप्रैल 2022 से मार्च 2023**	**अप्रैल 2023 से मार्च 2024**	**अप्रैल 2024 से अक्तूबर 2024**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	निरीक्षणों की संख्या	19858	23545	39659	25824
2	जब्त की गई वस्तुओं और उपकरणों की राशि (लाख रुपये में)	2639	1112	1075	2888
3	जब्त की गई राशि (लाख रुपये में)	675	741	368	238
4	जब्त की गई जमा राशि (लाख रुपये में)	55	42	57	29
5	जुर्माने की राशि (लाख रुपये में)	503	733	620	341
6	निलंबित लाइसेंसों की संख्या	259	169	197	91
7	रद्द किये गये लाइसेंसों की संख्या	89	46	75	48
8	अदालती मामलों की संख्या	20	12	19	16
9	पीबीएम मामलों की संख्या	10	23	47	12

****